प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्कररण अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2024**

विषयरू- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0401-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्कर्ण उद्योग नीति-2022 की योजना में रू0-30000.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-17/बजट/2024-25 दिनांक 10.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान-10 लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04 फल-0401 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 के अन्तर्गत मानक मद 42-अन्य व्य य मद में उपलब्ध धनराशि को 27-सब्सिडी मद में रू0-30000.00 लाख (रूपये तीन अरब मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक/वित्ति नियंत्रक निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कारण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसके सापेक्ष धनराशि का आहरण/व्यनय वास्ताविक आवश्यनकता के आधार पर अन्यह सुसंगत वित्ती य नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का दायित्वम निदेशक/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(4) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(8) उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

.....2/-

(9) व्यय की गयी धनराशि का औचित्यय/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।
(11) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
(12) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,00,000 (रुपये तीन अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-279/2024/596(1)/58-2-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।